

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

गुरुवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2018 (चैत्र 15, 1940)

समितियों के संबंध में.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 178 के परन्तुक की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्तमान में कार्यरत निम्नांकित सभा समितियों के सदस्य चतुर्दश विधान सभा की शेष अवधि तक यथावत् बने रहेंगे :-

- (1) लोक लेखा समिति
- (2) प्राक्कलन समिति
- (3) सरकारी उपक्रमों संबंधी,
- (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति
- (5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति
- (6) कार्य मंत्रणा समिति
- (7) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
- (8) याचिका समिति
- (9) प्रत्यायुक्त विधान समिति
- (10) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
- (11) विशेषाधिकार समिति
- (12) सदस्य सुविधा समिति
- (13) पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति
- (14) सामान्य प्रयोजन समिति
- (15) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति
- (16) प्रश्न एवं संदर्भ समिति,
- (17) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति
- (18) आचरण समिति
- (19) कृषि विकास समिति

2. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-त के उपनियम (1) के अधीन गठित कृषि विकास समिति में रिक्त एक स्थान पर मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. कैलाश जाटव, मान. सदस्य को मनोनीत किया गया है.

3. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 231 के उपनियम (2) के अधीन मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है :-

- (1) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री
- (2) श्री बाबूलाल गौर,
- (3) श्री कैलाश चावला,
- (4) श्री गोपीलाल जाटव,
- (5) श्री बाला बच्चन,
- (6) श्री मुकेश नायक,
- (7) श्री विक्रम सिंह नातीराजा,
- (8) श्री चेतन्य कुमार काश्यप,
- (9) श्री संजय शर्मा,
- (10) श्रीमती लोरेन बी.लोबो.

मान. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे तथा समिति का कार्यकाल चतुर्दश विधान सभा की अवधि पर्यन्त रहेगा.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.